

**राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग**

क्रमांक:-प.12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक: 11.01.2025

**- : आदेश :-**

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा आम चुनाव, 2025 के लिए मतदान दिनांक 05 फरवरी, 2025 (बुधवार) को सम्पन्न होगा (प्रति संलग्न)।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, को मतदान दिवस दिनांक 05 फरवरी, 2025 का उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स)/विभिन्न विभागों/उपक्रमों/बोर्ड/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

**(मनमोहन गौड़)**

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख विशेषाधिकारी (टेजेके), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, उप मुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 136 दिनांक 09.01.2025 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिवगण।
12. समस्त संम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स), राजस्थान।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. समस्त विभागाध्यक्ष/उपक्रम/निगम/बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान।
18. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
19. रक्षित पत्रावली।

Signature valid वरिष्ठ उप शासन सचिव

Digitally signed by Man Mohan Gour  
Designation : Senior Deputy  
Secretary To Government  
Date: 2025.01.11 14:16:41 IST  
Reason: Approved



**कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान  
शासन सचिवालय, जयपुर।**

**विषय:-** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के विधानसभा आम चुनाव, 2025 - मतदान दिवस का कार्मिकों को संवैतनिक अवकाश दिये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश है कि जहाँ मतदान हो रहा है उस क्षेत्र के मतदाता जो अन्य राज्य अथवा क्षेत्र में नियोजित हैं उन्हें मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश दिया जावे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 08.01.2025 की छायाप्रति संलग्न है।

दिल्ली राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 08.01.25 के द्वारा अवगत कराया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा आम चुनाव, 2025 के लिए मतदान दिनांक 05 फरवरी, 2025 (बुधवार) को सम्पन्न होगा। अतः राजस्थान राज्य में कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो दिल्ली राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं, को मतदान दिवस दिनांक 05 फरवरी, 2025 (बुधवार) का संवैतनिक अवकाश दिया जावे।

अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.01.2025 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 08.01.2025 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगते हुए राजस्थान राज्य में कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो दिल्ली राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, को उपरोक्त मतदान दिवस का संवैतनिक अवकाश हेतु आवेदन करने पर राज्य के समस्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स)/विभिन्न विभागों/बोर्ड/उपकर्मों/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत कराये जाने के लिए आदेश प्रसारित कराने का श्रम करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



**(नवीन महाजन)**  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर।

**शासन सचिव,**

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक प.8(1)(23)निर्वा./2024/136

जयपुर दिनांक :- 09-1-25

प्रतिलिपि:- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



**विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग**  
राजस्थान, जयपुर।

By Speed Post/Email

भारत निर्वाचन आयोग

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Tel. No. 011-23052246

Fax 011-23052001

Website: [www.eci.gov.in](http://www.eci.gov.in)

निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan

Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 8<sup>th</sup> January, 2025

No.78/EPS/2025

To

1. The Secretary to the Govt. of India, M/o Personnel Public Grievances & Pensions, Department of Personnel and Training North Block, New Delhi.
2. The Chief Secretary of NCT of Delhi
3. The Chief Electoral Officer of NCT of Delhi

**Subject: General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2025 - PAID HOLIDAY - regarding.**

Madam/Sir,

I am directed to refer to the subject cited and to apprise that the Commission has announced the General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2025 vide Press Note No. ECI/PN/169/2025 dated 07.01.2025 available on the Commission's website under URL <https://www.eci.gov.in/issue-details-page/press-releases> The date of Poll in the said elections has been fixed on **05.02.2025(Wednesday)**.

2. In this regard, your attention is invited to Section 135B of the Representation of the People Act, 1951 which provides for the grant of paid holiday to the employees on the day of poll. Section 135B of Representation of the People Act, 1951 is reproduced below:

Section 135B: Grant of paid holiday to employees on the day of poll:

- a) Every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at an election to the House of the People or the Legislative Assembly of a State/UT shall, on the day of poll be granted a holiday.
- b) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (1) and if such person is employed

13

on the basis that she/he would not ordinarily receive wages for such a day, she/he shall nonetheless be paid for such day the wages she/he would have drawn had not a holiday been granted to her/him on that day.

- c) If an employer contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2), then such employer shall be punishable with fine, which may extend to five hundred rupees.
- d) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

3. The above provisions require that all the electors who are employee of establishments and shops including those which work on shift basis shall be granted a paid holiday on the day of poll in the Constituency where the General Election to Legislative Assembly is to be held. Further, there may be cases where a person is ordinarily a resident of the Constituency and registered as an elector, may be serving or employed in an industrial undertaking or an establishment located outside the Constituency having General poll. It is clarified that in such a situation, even those electors including casual workers working outside the constituency concerned would be entitled to the benefit of a paid holiday extended under the Section 135B (1) of the Representation of the People Act, 1951.

4. The daily wage/casual workers are also entitled for a holiday and wages on poll day as provided in Section 135B of the R.P. Act, 1951.

5. In view of above, the Commission hereby directs that necessary instructions be issued to all concerned for strict compliance, under intimation to the Commission thereby endorsing a copy of the same.

The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully



**(BREJESH KUMAR)**  
**UNDER SECRETARY**